कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान जयपुर

क्रमांक/फा/भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/11/2004-05/ दिनांक:-

भू-प्रबन्ध अधिकारी
सीकर ।

विषय:-ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर की बंद की अधिसूचना भिजवाने बाबत ।

प्रसंग:- राजस्व ग्रुप-1 विभाग,जयपुर का पत्र क्रमांक प013(8)राज/ग्रुप-1/2010 दिनांक 28-8-18

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य सरकार द्वारा जारी ग्राम जुलियासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर के बन्द की अधिसूचना धारा 106, 107 व 108 दिनांक 28-8-2018 की छाया प्रति संलग्न प्रेषित है । इस ग्राम का नवीन अभिलेख 15 दिवस में जिला कलक्टर को सुपुर्द कर सूचना मुख्यालय को भिजवावें ।

संलग्न-' उपरोक्तानुसार

ह०
(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
अति० भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/फा/समसंख्यक/ 2255 दिनांक- 11.9.18

प्रतिलिपि-

1- प्रोग्रामर, मुख्य कार्यालय को अधिसूचना की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी,
मुख्यावास,राजस्थान,जयपुर

1046

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प0 13(8)राज./ग्रुप–1/2010 जयपुर, दिनांक 28.08.18

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा–106 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजस्थान सरकार एतद् द्वारा निर्देश देती है कि तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के समस्त ग्रामों का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य अधिसूचना क्रमांक प. 13(2)राज/ग्रुप–1/2004 दिनांक 03.02.2005 से प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त तहसील के समस्त 170 ग्रामों में से 169 ग्रामों का सर्वेक्षण/तरमीम कार्य पूर्ण होने से अधिसूचना क्रमांक प. 13(8)राज/ग्रुप–1/2010 दिनांक 29.06.2010, 22.09.2010, 29.11.2011, 05.04.2016, 21.02.2017 व 03.01.2018 से बन्द घोषित किया जा चुके हैं। अब शेष 01 ग्राम **जुलियासर** का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य पूर्ण हो जाने से इस अधिसूचना के प्रसारण होने की दिनांक से उक्त ग्राम का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य बन्द घोषित किया जाता है।

कार्यालय भू-प्रबन्ध विभाग
राज., जयपुर
पत्र-प्राप्ति
07 SEP 2018
क्रमांक ......711.........

राज्यपाल की आज्ञा से

(शक्ति सिंह राठौड़)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, सीकर।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/आर.आर/11/2/11/2004–05/1549 दिनांक 20.06.2018 के क्रम में।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान पत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन करा प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का श्रम करावें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, सीकर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

RR/546
10/9/18

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प0 13(8)राज./ग्रुप–1/2010 जयपुर, दिनांक 28.08.18

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–15) की धारा–107 व 108 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजस्थान सरकार एतद् द्वारा निर्देश देती है कि तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के समस्त ग्रामों में पुनः निरीक्षण कार्य अधिसूचना क्रमांक प. 13(2)राज/ग्रुप–1/2004 दिनांक 03.02.2005 के द्वारा प्रारम्भ किया जाकर निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु भू–प्रबन्ध अधिकारी, सीकर को अपर भू–अभिलेख अधिकारी नियुक्ति किया गया था। उक्त तहसील के समस्त 170 ग्रामों में से 169 ग्रामों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य पूर्ण होने से अधिसूचना क्रमांक प.13(8)राज/ग्रुप–1/2010 दिनांक 29.06.2010, 22.09.2010, 29.11.2011, 05.04.2016, 21.02.2017 व 03.01.2018 से बन्द घोषित किया जा चुका है तथा शेष **01** ग्राम **जुलियासर** के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण का कार्य पूर्ण होने से इस अधिसूचना के प्रसारण होने की दिनांक से उक्त ग्राम का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य बन्द घोषित किया जाता है तथा अपर भू–अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

राज., जयपुर
पत्र–प्राप्ति
07 SEP 2018
क्रमांक 716

राज्यपाल की आज्ञा से

(शक्ति सिंह राठौड़)
संयुक्त शासन सचिव

RR/487
10/9/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, सीकर।
3. भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/आर.आर/11/2/11/2004–05/1549 दिनांक 20.06.2018 के क्रम में।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान पत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन करा प्रति इस विभाग एवं भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का श्रम करावें।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, सीकर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Scanned by CamScanner